यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार** के माह **अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2020 से 02.12.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 07/2015 से माह 03/2018 तक की लेखापरीक्षा श्री एस. एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेंद्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 23.05.2018 से 30.05.2018 तक की गयी थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अनुरूप 250 से अधिक जनसख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित कर Uttarakhand Rural Road Development Agency (URRDA), देहरादून की स्वीकृति के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण से संबन्धित समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल के चार विकास खंडों क्रमशः जयहरीखाल, कल्जीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा है, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**मुख्य लेखा शीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (-) बचत (+)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**		**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	-	-		165.45	127.49	-	-	37.96	-
2018-19	-	-		198.60	187.92	-	-	10.68	-
2019-20	-	-		16.88	14.87	-	-	2.01	-
2020-21 (10/2020 तक)	-	-		10	2.30	-	-	7.70	-

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

↓

अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर

↓

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय-कोटद्वार

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2019 एवं मार्च 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी मार्च 2019 से नहीं की गयी थी।

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - ₹ शून्य

भाग द्वितीय - ₹ शून्य

5. खण्ड के माह 10/2020 के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम – शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप - शून्य

(ङ) भण्डार - शून्य

भाग–II 'ब'

प्रस्तर– 1(अ) : अनुबन्ध के प्रावधान के अनुरुप विलम्ब हेतु निर्धारित परिनिर्धारित नुकसान की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ` 28.00लाख का अदेय लाभ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सड़कों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्व अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो अनुबन्धित राशि के अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, सतपुली(पौड़ी) मुख्यालय, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य सतपुली–एकेश्वर रोड़–21(एकेश्वर) से गाड़माला मोटर रोड़ स्टेज–II Contract Bond No.-136/UT-08-81(II)/xvi/URRDA/2018-19 दिनांक 23.01.2019 स्वीकृत धनराशि रू0 324.01लाख एवं अनुबन्धित राशि –280.00लाख में ठेकेदार सर्व श्री मरे इंजिनियर्स–53/11 राजपुर रोड़ के साथ अनुबन्ध किया गया था कार्य के पूर्ण करने की तिथि 27.10.2019 निर्धारित किया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य को 16.07.2020 को पूर्ण किया गया, कार्य को विलम्ब से पूर्ण किये जाने पर नियमानुसार 01प्रतिशत स्वीकृत अनुबन्धित धनराशि का प्रति सप्ताह के अनुसार निम्न प्रकार से परि–निर्धारित नुकसान(LD) आरोपित किया जाना था–

विलम्ब दिनों की संख्या=260दिन=सप्ताह–37.1 कुल परि–निर्धारित नुकसान=280.00x1%x37.10=103.99लाख

उपरोक्त कार्य को विलम्ब समय में पूर्ण करने पर नियमानुसार अधिकतम 10प्रतिशत की दर से 28.00लाख का परि–निर्धारित नुकसान (LD) वसूल की जानी चाहिए थी, जबकि खण्ड द्वारा इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कार्य को विलम्ब से पूर्ण किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर – 1(ब) : ठेकेदार पर धनराशि ₹ 11.32 लाख के अर्थदंड का अधिरोपण ना किया जाना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 वर्ष 2018-19 बैच -1 में शासनादेश संख्या 329/पी-1-34(फेज-XVI)/URRDA/18 दिनांक 14 मई 2018 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत बिजोरापानी से घंडियाल तल्ला मोटर मार्ग लंबाई 2.5 किमी के निर्माण (स्टेज 1) हेतु धनराशि ₹ 171.16 लाख (₹ 28.35 लाख 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगस्त 2018 में अधीक्षण अभियंता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा ₹ 169.30 लाख (₹ 28.35 लाख अनुरक्षण सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य निष्पादन हेतु जुलाई 2019 में ₹ 125.08 लाख (₹ 113.19 लाख निर्माण एवं ₹ 11.89 लाख अनुरक्षण) में मै. ए. ए. ए. कंस्ट्रकशन के साथ अनुबंध गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य को जुलाई 2019 में प्रारम्भ कर जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना था जबकि कार्य पूर्ण किए जाने की वास्तविक तिथि जुलाई 2020 थी। Liquidated Damages के प्रकरण में Standard Bidding Documents के बिंदु 20 (b व c) के अनुसार Initial Contract Price का 1% प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Contract Price के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जानी थी।

अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि ठेकेदार के को उक्त के संबंध में ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय वृद्धि प्रदान की गई थी, ना ही ठेकेदार की बिलों से LD के रूप में कोई कटौती की गई थी जबकि ठेकेदार के बिलों से ₹ 1.13 लाख प्रति सप्ताह की दर से 22 सप्ताह के लिए ₹ 24.86 लाख अधिकतम सीमा ₹ 11.32 लाख की कटौती की जानी अपेक्षित थी।

इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समय वृद्धि हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित है।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि कार्य को जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना था जबकि कार्य 22 सप्ताह विलंब से पूर्ण हुआ था। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर– 2 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ` 20.92 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, सतपुली(पौड़ी) मुख्यालय, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में कार्यों से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 01 प्रतिशत की धनराशि देयकों से कटौती की गई। लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित 04 अपूर्ण कार्यों की अनुबन्धित धनराशि ` 2093.57 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 20.93लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि (₹ लाख)	बीमा कटौती योग्य राशि (₹ लाख)
1.	Wadda Motor Road Km. 3 to Chaud Motor Road, Stage-I	181.02	147.99	1.47
2.	MRL 17-Jhri Parinda to Mandoli(Upgradation)	382.98	373.14	3.73
3.	MRL01-Kaljikhal Dungra to Sujhakhal MR (Upgradation)	522.35	517.15	5.17
4.	T04-Deverajkhal to Kheragaon to Sanglakoti MR(Upgradation)	1080.73	1055.29	10.55
योगः–		**2167.08**	**2093.57**	**20.92**

इस प्रकार, ` 20.92लाख की कटौती नहीं किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में अनुबन्धों का अन्तिमीकरण तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि अपूर्ण कार्यों पर उनके देयकों में भविष्य में बीमा राशि की कटौती कर ली जायेगी। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	150/2015-16	1,2,3	1	शून्य
2	16/2018-19	1	1,2,3	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली (पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

माप पुस्तिका – 10/एल

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**इं निम्मी सिंह**	**अधिशासी अभियंता**	**विगत लेखापरीक्षा से 13.06.2018**
ii	**इं जगदीश सिंह**	**अधिशासी अभियंता**	**13.06.2018 से 19.06.2018**
iii	**इं बी. पी. नौटियाल**	**अधिशासी अभियंता**	**19.06.2018 से 27.12.2019**
iv	**इं महेंद्र सिंह यादव**	**अधिशासी अभियंता**	**27.12.2019 से 13.08.2020**
v	**इं जगदीश सिंह**	**अधिशासी अभियंता**	**13.08.2020 से वर्तमान तक**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो.नि.वि., सतपुली(पौड़ी), मुख्यालय – कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II/ नॉन-पी.एस.यू.